

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4267
दिनांक 19.08.2025 को उत्तरार्थ

डिजिटल पंचायत

4267. श्री थरानिवेंथन एम. एस:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में डिजिटल पंचायत पहल के उद्देश्य और घटक क्या हैं तथा इसके कार्यान्वयन की राज्य-वार और जिले-वार समय-सीमा क्या है;
- (ख) तमिलनाडु सहित राज्य-वार अब तक डिजिटलीकृत ग्राम पंचायतों की संख्या संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) वर्तमान में पंचायत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नागरिकों को किस प्रकार की ई-गवर्नेंस सेवाएं उपलब्ध हैं और उनके उपयोग संबंधी आंकड़े क्या हैं;
- (घ) पंचायत स्तर पर डिजिटल शासन को सहायता देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल अवसंरचना, प्रशिक्षण और इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और
- (ङ) क्या सरकार का डिजिटल माध्यमों से पंचायतों की पारदर्शिता, जवाबदेही और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए नए उपकरण या सुधार शुरू करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) और (ख)ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) का उद्देश्य देश भर में पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ बनाना और जमीनी स्तर पर सेवा प्रदायगी तथा शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही, कार्यकृशलता और प्रभावशीलता को बढ़ाना है। परियोजना का उद्देश्य पंचायतों के आंतरिक वर्कफ़्लो और मुख्य कार्यों को स्वचालित करना एवं उनके कामकाज को अधिक नागरिक-केंद्रित बनाना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। इस पहल के तहत प्रमुख एप्लीकेशनों में से एक ई-ग्रामस्वराज है, जो ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों के नियोजन, बजटन, लेखांकन और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसके अतिरिक्त, ई-ग्रामस्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ एकीकरण करने से विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान संभव हो पाया है, जिससे वित्तीय पारदर्शिता और कार्यकृशलता बेहतर हुई है।

वित्त वर्ष 2024-25 में, देश भर की 2.60 लाख से अधिक पंचायती राज संस्थाएं (पीआरआई) ई-ग्रामस्वराज-पीएफएमएस इंटरफेस से जुड़ गई हैं। 2.51 लाख से अधिक पंचायती राज संस्थाओं ने ई-ग्रामस्वराज-पीएफएस इंटरफेस के माध्यम से ₹61,000 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि हस्तांतरित की है। वर्ष 2024-25 के दौरान तमिलनाडु सहित, पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए ई-ग्रामस्वराज के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की गई प्रगति **अनुलग्नक-।** में दी गई है। जिला-वार प्रगति ई-ग्रामस्वराज पोर्टल <https://egramswaraj.gov.in/> पर देखी जा सकती है।

सभी राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर, ई-पंचायत एमएमपी को लागू करने के प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि, देश भर में पंचायतों की तैयारी के स्तर में भिन्नता के कारण, राज्य इन एप्लीकेशनों के कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों/चरणों में हैं।

(ग) मंत्रालय ने स्थानीय कार्यों को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ सरेखित करते हुए आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर प्रस्तुत किया है। यह ढाँचा पंचायतों को समयबद्ध तरीके से सेवाएँ प्रदान करने और नागरिकों की शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करने में मार्गदर्शन करता है। वर्ष 2021 में चलाए गए "मेरी पंचायत, मेरा अधिकार - जन सेवाएँ हमारे द्वारा" अभियान ने इन प्रयासों को और मजबूत किया है। अब तक, 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपने नागरिक चार्टर अपलोड किए हैं, जिनमें 954 सेवाएँ प्रदान की गई हैं।

(घ) पंचायती राज मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2022-23 से संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है जिसका मुख्य उद्देश्य निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर) और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान करके पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को मजबूत बनाना है ताकि वे नेतृत्वकारी भूमिकाओं हेतु अपनी शासन क्षमताओं का विकास कर सकें और ग्राम पंचायतों का प्रभावी ढंग से कार्य करने में सक्षम बना सकें। योजना के तहत मंत्रालय की ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के अंतर्गत ई-गवर्नेंस उपकरणों पर भी प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रशिक्षण के अलावा, यह योजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीमित पैमाने पर ग्राम पंचायत भवन में कंप्यटर और सार्वजनिक सेवा केंद्र (सीएससी) के सह-स्थापन जैसी ई-सक्षम पंचायतें बनाने में भी सहायता प्रदान करती है।

इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, दूरसंचार विभाग (डीओटी), भारतसरकारद्वारा चरणबद्ध तरीके से भारतनेट परियोजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है ताकि देश भर की सभी ग्राम पंचायतों और पारंपरिक स्थानीय निकायों (टीएलबी) को हाईस्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की जा सके। अगस्त 2025 तक, नियोजित 2,69,239 ग्राम पंचायतों/टीएलबी में से, 2,18,347 ग्राम पंचायतों/टीएलबी को भारतनेट परियोजना के अंतर्गत हाईस्पीड इंटरनेट सेवाएँ प्रदान करने के लिए सेवा के लिए तैयार (पॉइंट) बना दिया गया है। ब्रॉडबैंड सेवाएँ प्रदान करने के लिए सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-॥** में दिया गया है।

इसके अलावा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 04.08.2023 को संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को मंजूरी दे दी। इसमें भारतनेट के फेज-। और फेज-॥ के अंतर्गत मौजूदा नेटवर्क का उन्नयन और शेष शामिल न की गई ग्राम पंचायतों तक कनेक्टिविटी का विस्तार शामिल है। इस पहल के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को परियोजना प्रबंधन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। पंचायतों की पहुँच को आसान बनाने के लिए, सेवा के लिए तैयार(सर्विस-रेडी) क्षेत्रों में फाइबर-टू-द-होम (FTTH) कनेक्शन के लिए आवेदन करने हेतु ई-ग्रामस्वराज पोर्टल पर एक इंटरफ़ेस भी उपलब्ध कराया गया है।

(ङ) बहुभाषी क्षमताओं को सक्षम बनाने के लिए, ई-ग्रामस्वराज प्लेटफ़ॉर्म को राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन (एनएलटीएम) के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) की एक पहल, भाषिणी के

साथ एकीकृत किया गया है। भाषिनी भारतीय भाषाओं में पाठ और वाक् अनुवाद के लिए अत्याधुनिक एआई/एमएल-आधारित नैसर्गिक भाषा प्रसंस्करण (एनएलपी) तकनीकों का लाभ उठाती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ग्राम पंचायतों और ग्राम सभाओं की बैठकों की ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से कार्यवाही को स्वचालित रूप से लिपिबद्ध, अनुवादित और सारांशित करने के लिए सभासार नामक एक एआई-संचालित उपकरण भी विकसित कर रहा है।

मंत्रालय ई-पंचायत एमएमपी के अंतर्गत डेटा प्रविष्टि और प्लेटफ़ॉर्म के उपयोग को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। फीडबैक के आधार पर निरंतर सुधार किए जा रहे हैं, जिनमें ई-ग्रामस्वराज में कार्यक्षमता उन्नयन और पंचायत अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण पहल शामिल हैं।

‘डिजिटल पंचायत’ के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4267 जिसका उत्तर दिनांक 19.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (क) एवं (ख)
के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान पंचायत स्तर पर XV वित्त आयोग के लिए ई-ग्रामस्वराज को अपनाना

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	शामिल ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतों और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	शामिल ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष	जिला पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	शामिल जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतों और समकक्ष
1	आंध्र प्रदेश	13328	13320	13002	660	660	645	13	13	13
2	अरुणाचल प्रदेश	2108	2108	426	0	0	0	27	26	11
3	অসম	2662	2197	2183	191	191	191	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8046	534	534	531	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11701	11684	11540	146	146	146	33	33	27
6	गोवा	191	191	97	0	0	0	2	2	2
7	ગુજરાત	14656	14645	14006	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6226	6226	5980	143	143	134	22	22	22
9	हिमाचल प्रदेश	3615	3615	3557	81	81	81	12	12	12
10	झारखण्ड	4345	4345	4335	264	264	263	24	24	24
11	कर्नाटक	5954	5954	5942	238	232	127	31	31	29
12	केरल	941	941	941	152	152	152	14	14	14
13	मध्य प्रदेश	23011	23011	22987	313	313	311	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27955	27940	27025	351	351	312	34	34	34
15	मणिपुर	3812	161	125	0	0	0	12	6	4
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0	0	0	0

क्र.सं.	राज्य का नाम	ग्राम पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	शामिल ग्राम पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ग्राम पंचायतें और समकक्ष	ब्लॉक पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	शामिल ब्लॉक पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली ब्लॉक पंचायतें और समकक्ष	जिला पंचायतों और समकक्ष की कुल संख्या	शामिल जिला पंचायत	ऑनलाइन भुगतान करने वाली जिला पंचायतें और समकक्ष
18	नगालैंड	1289	977	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6794	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13237	13234	10240	153	151	123	23	22	19
21	राजस्थान	11222	11219	10905	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	195	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12525	12525	12520	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12991	12768	12648	572	540	514	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1194	1175	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखण्ड	7795	7795	7757	95	95	95	13	13	13
27	उत्तर प्रदेश	57691	57691	57638	826	826	819	75	75	75
28	पश्चिम बंगाल	3339	3339	3339	345	345	345	22	21	21
कुल		264494	252969	244235	8691	6402	6165	659	649	616

'डिजिटल पंचायत' के संबंध में लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4267 जिसका उत्तर दिनांक 19.08.2025 को दिया जाना है, के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रदान करने के लिए तैयार सेवा बिंदुओं (सर्विस रेडी पॉइंट्स) का राज्यवार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	तैयार सेवा बिंदुओं की कुल संख्या*
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	70	81
2	आंध्र प्रदेश	13327	12972
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	1145
4	असम	2665	1634
5	बिहार	8054	8860
6	छत्तीसगढ़	11623	9759
7	गोवा	191	0
8	गुजरात	14674	14563
9	हरियाणा	6225	6204
10	हिमाचल प्रदेश	3615	416
11	जम्मू और कश्मीर	4291	1115
12	झारखण्ड	4345	4649
13	कर्नाटक	5948	6251
14	केरल	941	1130
15	लद्दाख	193	193
16	लक्ष्द्वीप	10	9
17	मध्य प्रदेश	23011	18106
18	महाराष्ट्र	27952	24778
19	मणिपुर	3812	1485
20	मेघालय	6838	697
21	मिजोरम	843	539
22	नगालैंड	1315	236
23	ओडिशा	6794	7099
24	पुदुचेरी	108	101
25	ਪंजाब	13236	12807
26	राजस्थान	11193	8997
27	सिक्किम	199	54
28	तमिलनाडु	12525	10298
29	तेलंगाना	12860	10926
30	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	42	41
31	त्रिपुरा	1194	772
32	उत्तर प्रदेश	57691	47451

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	तैयार सेवा बिन्दुओं की कुल संख्या*
33	उत्तराखण्ड	7788	2021
34	पश्चिम बंगाल	3339	2958
	कुल	269020	218347

* यह डेटा भारतनेट यूएनएमएस डैशबोर्ड से प्राप्त किया गया है, तथा कुछ ग्राम पंचायतों में एक से अधिक तैयार सेवा बिंदु (सर्विस रेडी पॉइंट्स) हो सकते हैं।